न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 93/2025

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

गुरभेज सिह पुत्र श्री पृथ्वी सिह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।

बनाम

1. सुखप्रीत कौर पत्नी श्री गुरविन्दर सिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. एक ही चक के पड़ौसी एवं एक ही सांझा खाता के खातेदारान है। प्रार्थी के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी. पी. के खाता सं. 22/18 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 2/5 हिस्सा अर्थात 1.518 है. कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं. 1 के नाम से इसी चक के इसी खाता सं. 22/18 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 3/5 हिस्सा अर्थात् 2.277 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी को अपनी कब्जाकाश्त की तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी. पी. के खाता सं. 22/18 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में प.नं. 211/137 मु.नं. 33 कि.नं. 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है. 7,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है. 17/0.253 है. इस प्रकार कुल 1.518 है. कृषि भूमि में आवागमन के लिये एवं कृषि यंत्र लाने व ले–जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नही है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काश्त करने के लिये आने–जाने में बिना स्वीकृत रास्ता के भारी असुविधा होती है तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में स्वीकृतशुदा रास्ता नही होने से भयभीत हो रहा है। अब प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने हेतु रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले–जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त की तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 22/18 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में प.नं. 211/138 मु.नं. 40 के कि. नं. 3/0.001 है. (किला के उतरी–पश्चिमी कोण में 10 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा रास्ता जो कि किला नं. 1 व 2 की उतरी दिशा में स्वीकृत रास्ता से), प.नं. 211/137 मु. नं. 33 कि.नं. 23/0.015 है. (किला की पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा एवं 10 फुट चौड़ा रास्ता), कि. नं. 23/0.015 है. (किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 10 फुट चौड़ा रास्ता), कि.नं. 24/0.001 है. (किला के उतरी पश्चिमी कोण में 10 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि रास्ता को स्वीकृत करवा गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के प्रतिफल स्वरूप इतनी ही कृषि भूमि या कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

का बाजार मुल्य जो भी उचित समझे अप्रार्थी सं. 1 को देने के लिये तैयार व तत्पर है। इस कारण प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 से कई बार निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 अपनी तहसील संगरिया के चक ३ बी.जी.पी. के खाता सं. 22/18 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में प.नं. 211/138 मु.नं. 40 के कि.नं. 3/0.001 है. (किला के उत्तरी पश्चिमी कोण में 10 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा रास्ता जो कि किला नं. 1 व 2 की उतरी दिशा में स्वीकृत रास्ता से), प.नं. 211/137 मु.नं. 33 कि.नं. 23/0.015 है. (किला की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा एवं 10 फुट चौड़ा रास्ता), कि.नं. 23/0. 015 है. (किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 10 फुट चौड़ा रास्ता), कि.नं. 24/0.001 है. (किला की उतरी पश्चिमी कोण में 10 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा रास्ता) को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. में दर्ज के करवा देवें तो पहले तो अप्रार्थी सं. आजकल–आजकल कर टाल मटोल करता रहा लेकिन अंत में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। रास्ता रूप 15. यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण एवं अप्रार्थी सं. 2 को भु–धारक होने के कारण अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करवाने का है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का हैं तथा 2/–रूपये के न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले–जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 22/18 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में प.नं. 211/138 मु.नं. 40 के कि.नं. 3/0.001 है. (किला के उतरी पश्चिमी कोण में 10 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा रास्ता जो कि किला नं. 1 व 2 की उतरी दिशा में स्वीकृत रास्ता से), प.नं. 211/137 मु. नं. 33 कि.नं. 23/0.015 है. (किला की पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा एवं 10 फुट चौड़ा रास्ता), कि.नं. 23/0.015 है. (किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 10 फुट चौड़ा रास्ता), कि.नं. 24/0.001 है. (किला की उतरी पश्चिमी कोण में 10 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन करने के आदेश देने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 3067 दिनांक 18.12.2025 द्वारा अवगत करवाया कि प्रार्थी के पास स्थायी रास्ता नही है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि एक ही संयुक्त खाते में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी रास्ते के बदले भूमि देने पर सहमत हो सकता है एवं प्रार्थी को रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की है।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्याधिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु ''रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता'' एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट्तया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 3 बीजीपी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के कब्जा काश्त भूमि में से चक 3 बी.जी.पी. प.नं. 211/138 मु.नं. 40 के कि.नं. 3/0.001 है. (किला के उतरी पश्चिमी कोण में 10 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा रास्ता जो कि किला नं. 1 व 2 की उतरी दिशा में स्वीकृत रास्ता से), प.नं. 211/137 मु.नं. 33 कि.नं. 23/0.015 है. (किला की पश्चिमी दिशा में दक्षिण से उतर की ओर 165 फुट लम्बा एवं 10 फुट चौड़ा रास्ता), कि.नं. 23/0.015 है. (किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 10 फुट चौड़ा रास्ता), कि.नं. 24/0.001 है. (किला की उतरी पश्चिमी कोण में 10 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन करने के आदेश दिये जाते है और प्रार्थी का उक्तानुसार रकबा कम कर अप्रार्थी 1 के नाम दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की कब्जा के चिपते उक्तानुसार भूमि का कब्जा दिलाया जाकर रास्ता चालू करवाया जावे। तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
जिला हनुमानगढ़